

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर

क्रमांक :- न-5() बीकानेर-फोर्स/च.श्रे.कर्म.भर्ती/17/1443

दिनांक :- 14-05-2018

विज्ञप्ति

वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप-1) राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.4(35)गृह-1/ 2016 दिनांक 23.06.17 एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर के पत्र क्रमांक न-5(2) पुलिस-फोर्स/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/2016/4286 दिनांक 03.11.17 की पालना जिला बीकानेर में निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती की जानी प्रस्तावित है :-

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पद	पे-बैंड/ग्रेड पे	वर्ग
1	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	03	पे-मैट्रिक्स लेवल-01 सैल न. 1 17700 ग्रेड पे (5200-20200) 1700	सामान्य-1 एसटी-2

1. राष्ट्रीयता एवं भर्ती हेतु पात्रता :-

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के नियम के अनुसार भारत का नागरिक होने की अर्हता प्राप्त हो।

2. आरक्षण एवं आयु सीमा :- उक्त पद के लिए आवेदक की आयु सीमा दिनांक 01.01.19 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भूपू.सैनिक/अ.ज.जा./अ.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा/तलाकशुदा महिलाओं इत्यादि को नियमानुसार आरक्षण देय होगा एवं तत्सम्बन्धी प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देय होगी।

3. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं साफ-सफाई का अनुभव होना चाहिए।

क्र.सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव
1	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण	साफ-सफाई करने में दक्षता एवं अनुभव

4. चरित्र :- आवेदक दो उत्तरदायी व्यक्तियों के (जो उसके रिश्तेदार न हो) चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा एवं उक्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक समय के नहीं हो। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा की उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि आवेदक के विरुद्ध कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित हो तो आवेदक को उक्त मामले का विवरण शपथ पत्र में अंकित करना होगा। आवेदक उक्त शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करेगा।

5. शारीरिक दक्षता :- आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके इस तत्सम्बन्धी पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधक हो और आवेदक को इस पद के लिए चयन होने पर सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संतान सम्बन्धी सूचना :- ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 या उसके पश्चात दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवृत्ति प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती है तो संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार का एक प्रसव में पैदा हुई संतानों को एक ही इकाई माना जायेगा।

7. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र :- राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.7(3)/कार्मिक/क-2/2006 दि. 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः अंकित की जायेगी तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति या आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के सलंगन प्रारूप में 50/-रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटेरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8. वेतनमान/पेंशन :- राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-15(7)एफ.डी.(सल्स)97 दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-12(एफ.डी.(रूल्स) दिनांक 13.03.2006 एवं दि.12.09.2008 के अन्तर्गत (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) पद पर नियुक्ति के उपरान्त 02 वर्ष की परीविक्षा कालावधि के लिए प्रोबेशनर के रूप में 12400/- रु. मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा। तत्पश्चात स्थाईकरण के बाद नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की वेतन श्रृंखला में वेतन व नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेंडेंट रूल्स, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि, स्थाई पारितोषण एवं अन्य तत्सम्बन्धी सभी नियम लागू होंगे।

9. आवेदन पत्र :- आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा अंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या 12 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपि व शपथ पत्र आदि सलंगन करने होंगे। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा।

10. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :- इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां सहित दिनांक 04.06.2018 को सांय 06.00 बजे तक इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

